मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

<u>संपदा विभाग</u>

सं.इएम/एएस-6/एफ-310/769 दि. 16.05.2011

प्रति:
<u>मुं.पो.ट्र. के पट्टेदार/किरायेदार/लाईसेंसधारी</u>

आपको सूचित किया जाता है कि आपसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को देय किराये की राशि पर स्त्रोत पर कर की कटौती (अर्थात TDS) की दर वित्त वर्ष 2011-12 के लिए, वित्त अधिनियम, 2011 में निर्धारित अनुसार की जानी चाहिये. तथापि, यदि वित्त विधेयक, 2011 पारित करते समय उसमें कोई संशोधन किये जाते हैं, तो वे यदि लागू हो तो सूचित किये जाएँगे. तब तक, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 194(1) के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की दर होगी - भूमि अथवा इमारत के इस्तेमाल के लिये देय कुल राशि जमा करते वक्त - या भुगतान करते वक्त - इसमे से जो भी पहले हो - जितनी होगी; उसके 10% - उन मामलों के लिये जिनमे वित्त वर्ष के दौरान जमा की गयी या अदा की गयी राशि 1,80,000/- रू. से उपर हो.

2. आयकर की राशि का परिकलन सकल राशि अर्थात पूर्ण किराये/क्षतिपूर्ति की राशि पर किया जाना चाहिये और न कि 1,80,000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक की राशि पर.

3. यदि एक वित्तीय वर्ष मे किसी विशिष्ट किरायेदार/पट्टेदार/लाईसेंसधारी के मामले में प्राप्य योग फल की राशि <u>सभी किरायों/क्षतिपूर्तिओ से 1,80,000/- रूपये से अधिक है</u>, तब ऐसे किराये/क्षतिपूर्तिओ का भुगतान करने वाले व्यक्ति की, स्त्रोत पर आयकर कटौती करने की यह जिम्मेदारी होगी. ऐसे मामलों में, <u>निवल राशि के साथ फार्म नं.16ए में स्त्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र (टीडीएस) होना चाहिये</u>. अन्यथा प्राप्त की गई राशि को आंशिक रूप से किया गया भुगतान माना जाएगा.

4. जिस तारीख को निवल राशि प्राप्त की जाती है वही प्राप्ति की तारीख, की गई कर की राशि की कटौती सहित देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज का हिसाब लगाने में ली जायेगी. यह पट्टेदार/किरायेदार/लाईसेंसधारी का दायित्व होगा जो स्त्रोत पर आय कर की कटौती को सरकारी खजाने में समय पर जमा करे. यदि इस मामले में उसके द्वारा देरी होती है, तो उसे दंड भरने अथवा आय कर प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के अधीन मुकदमे का सामना करना होगा. संक्षिप्त में, सिर्फ □हाँ स्त्रोत पर की गई कटौती का प्रमाणपत्र (टीडीएस) फार्म नं.16ए में प्राप्त हुआ हो, वहाँ निवल राशि के प्राप्ति की तारीख को सकल राशि की प्राप्ति की तारीख माना □ाएगा,.

5. देरी से किये गये बिलों के भुगतान पर @ 18% प्रति वर्ष ब्याज का हिसाब लगाने के लिये निवल राशि के प्राप्ति की तारीख को, आधार माना जाएगा.

6. सभी किरायेदारों/पट्टेदारों/लाईसेंसधारकों से जो स्त्रोत पर कर की कटौती करते हैं, उनसे अनुरोध है कि फार्म नं.16ए के स्त्रोत पर की गई कर की कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र अग्रेषित करें . यह सभी किरायेदारों/पट्टेदारों/लाईसेंसधारकों के लिये आवश्यक होगा कि वे जो <u>स्त्रोत पर की गई कर की कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र पर</u>; <u>उनके द्वारा अदा की गई ऐसी राशियों का सही हिसाब लगाने के सहायतार्थ, सही भूखण्ड कोड नं. और बिल नं., तथा माहवार भुगतान का प्रकार, की गई अदायगी के विवरण के सामने उल्लिखित करें</u>.

7. मुं.पो.ट्र. का परमानेन्ट अकाउंट नम्बर (पीएएन) एएएटीएम 5001डी है. इसे स्त्रोत पर की गई कर की कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्रों में सम्मिलित किया जाय.

8. आपका ध्यान इस कार्यालय के दि. 19.3.2010 के परिपत्र सं.इएम/एस-6/एफ-310/8649 की ओर दिलाया जाता है तथा अपना TAN नम्बर यदि अब तक प्रस्तुत नहीं किया है तो, <u>शीघ्र प्रस्तुत करें</u> जिससे की उसे आयकर विभाग को उपलब्ध कराया जा सके.

(स.गु. टहिल्यानी)
संपदा प्रबंधक